संख्या– 2749 /5–9–06–9(168)/06

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2006

विषय :– जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के गठन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेषतः निर्धन वर्ग तथा सामान्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी, गुणवत्तापरक तथा विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवायें तत्परता से प्रदान करना है। इस मिशन का यह लक्ष्य भी है कि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति में मिशन अवधि 2005–2012 के अंदर 50% की कमी लायी जाय और मुख्यतः महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिये सभी स्वास्थ्य सेवाओं को तत्परता के साथ सुलभ कराया जाय। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के गठन विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0–2529(5)/5–9–05–9(285) /04टी.सी. दिनांक 06 सितम्बर, 2005 को अवक्रमित करते हुये जिला स्वास्थ्य सोसाइटी का गठन निम्नवत किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

<u>जिला स्वास्थ्य सोसायटी</u>

जिला स्वास्थ्य सोसाइटी का गठन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस सोसाइटी के गठन के उपरान्त निम्नलिखित सोसागटीज का इसमें विलय किया जायेगा:–

1–राज्य क्षय निवारण सोसाइटी
2–राज्य अन्धता निवारण सोसाइटी
3–राज्य कुष्ठ निवारण, सोसाइटी
4–स्टैंडिंग कमेटी आन वाल्यन्टरी ऐक्शन (स्कोवा)
5–प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सोसाइटी (स्टेट इम्पावर्ड कमेटी फार आर0सी0एच0)
6–उत्तर प्रदेश राज्य वैक्टर बार्न डिजीज कन्ट्रोल सोसायटी, आदि।

इस सोसाइटी के गठन के उपरान्त उक्त सोसाइटीज का उनकी परिसम्पत्तियों एव दायित्वों सहित इसमें विलय किया जायेगा। इस सोसायटी का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जायेगा।

<u>(i) शासी निकाय (गवर्निंग बाडी)</u>

अध्यक्ष	–	जिलाधिकारी
सदस्य	–	परियोजना अधिकारी जिला विकास अभिकरण,
	–	स्वास्थ्य विभाग के जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी,
	–	जिला पंचायतीराज अधिकारी,
	–	महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी,

- – बेसिक शिक्षा अधिकारी,
- – जिला विद्यालय निरीक्षक,
- – मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला एवं पुरूष चिकित्सालय।
- – चिकित्सा संघ के सदस्य,
- – स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि,
- – जनपदीय यूनीसेफ, डब्लू0एच0ओ0, अन्य विकासशील सहयोगियों के प्रतिनिधि ।

संयोजक – मुख्य चिकित्सा अधिकारी

बैठक बैठक 03 माह में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी मण्डल के प्रत्येक जिले की बैठक अलग–अलग तिथियों में आयोजित की जायेगी।

कर्तव्य एवं दायित्वः–

- राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्णय लिये जाने हेतु नीति विषयक बिन्दुओं को चिन्हित करना ।
- जनपद स्तरीय योजना एवं प्रस्ताव तैयार करना तथा राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा उनका अनुमोदन कराया जाना ।
- जनपद में कार्यकम की प्रगति की समीक्षा तथा इसकी विश्वसनीयता/पारदर्शिता बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक निर्णय लिया जाना ।
- शासी निकाय की अधिकार सीमा के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन ।

(ii) कार्यकारी समितिः–

अध्यक्ष – मुख्य चिकित्सा अधिकारी

सदस्य – जिला अन्धता निवारण अधिकारी,
जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी,
जिला कुष्ठ अधिकारी,
जिला वेक्टर वार्न डिजीज अधिकारी,
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतिरक्षण,
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, (पुरूष/महिला)
जिला पंचायतराज अधिकारी,
कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास,
बेसिक शिक्षा अधिकारी,
भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष,
जिला अधिकारी द्वारा नामित स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि।
आयुष के प्रतिनिधि।

सदस्य सचिव – अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(प्रशासन)

बैठक का अन्तराल

बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी ।

कर्तव्य एवं दायित्वः–

जिला एवं ग्राम की कार्य योजना की संरचना, कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा, व्यय विवरण की समीक्षा, अगले माह हेतु गतिविधियों का चिन्हीकरण एवं निर्णय तथा शासी निकाय द्वारा दिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईः–

यह इकाई जिला स्वास्थ्य मिशन तथा जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के लिए सचिवालय का कार्य करेगी । इस इकाई के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 होंगे तथा एक प्रबन्धन/नियोजन विशेषज्ञ, वित्त विशेषज्ञ, डाटा असिस्टेंट, लेखाकार तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने वाला स्टाफ एवं एक परिचारक को संविदा पर रखा जायेगा।

जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के 'मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन' और नियम एवं विनियम के प्रारूप संलग्न हैं।

संलग्नक : उपर्युक्त।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव

संख्या–2759 (1)/5–9–06 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
7– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9– गार्ड फाइल।

15/12/06

आज्ञा से,

(अरूण कुमार मिश्र)
प्रमुख सचिव